

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०अ०)-07/2017- 2717 /न०वि०एवंआ०वि०। श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर अतिरिक्त प्रभार जिला शहरी विकास अभिकरण, बांका की सेवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग को वापस की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०अ०)-07/2017- 2717 /न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक- 17/5/18

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी/श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर अतिरिक्त प्रभार जिला शहरी विकास अभिकरण, बांका/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता के स्थान पर एक अन्य कार्यपालक अभियंता की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:-डी०आई०जी० (पुलिस), सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एण्टी करप्शन यूनिट-ट (ए०सी०-ए) आठवाँ तल, सी०बी०आई० हेडक्वार्टर, 5-बी०, सी०जी०ओ कम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को उनके पत्रांक 1294 दिनांक 27.04.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


17/5/18
सरकार के अवर सचिव।